न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00019

नाथू सिंह आत्मज बन्ने सिंह जाति राव राजपूत हाल निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाबू सिंह उर्फ बाबूलाल आत्मज पीरू सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम मेंणा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. चतुर्भुज सिंह आत्मज बाबू सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. अणदी सिंह आत्मज बाबू सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. बदाम कंवर पुत्री बाबू सिंह पत्नी उमराम सिंह जाति राव राजपूत हाल निवासी ग्राम छापरवाडा पोस्ट सुनाडिया तहसील दुदू जिला जयपुर ।
2. मृतक देवी सिंह आत्मज किशन सिंह उर्फ किशनलाल जाति राव राजपूत निवीस ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. लक्ष्मण सिंह आत्मज किशन सिंह उर्फ किशनलाल जाति राव राजपूत निवीस ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   3/1. रतन कंवर पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/2. सीमा कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी श्री महावीर सिंह जाति राव राजपूत हाल निवासी ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   3/3. लीला कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी मंजीत सिंह जाति राव राजपूत हाल निवासी केशलाल जी महावर कपउे वाले का मकान अस्थल रोड छावनी चौराहा टोंक तहसील व जिला टोंक ।
   3/4. संतोष पुत्री लक्ष्मण सिंह पत्नी श्री भीम सिंह जाति राव राजपूत हाल निवासी ग्राम दयालपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
4. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री विशाल सनाढ्य, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राणावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 मृतक बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मेणा तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 09 किता की रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 2 के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 है । उक्त भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता किशन सिंह पिसरान पीरू सिंह के खातेदारी अधिकार की भूमि थी । बाद में वादी के नाम के आगे पिता का नाम पीरूसिंह लिखा जाना सहवन से छूट गया । इस कारण, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम अंकित नहीं है तथा वादी का नाम बाबू सिंह के स्थान पर बाबू लाल लिखा गया है तथा वादी के मृतक भाई का नाम किशनसिंह के स्थान पर किशन लाल लिखा गया है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से लगभग 25 वर्ष पूर्व हो गया था । पारिवारिक विभाजन समझौते से हुए विभाजन अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौते के अनुसार हुए विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने से काफी परेशानी होती है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही अंकित करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को उनके पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे तथा वादी का नाम बाबूसिंह आत्मज पीरूसिंह जाति राव राजपूत लिखा जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2004 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 03 लक्ष्मण सिंह की मृत्यु सन् 2007 में हो गयी एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 देवी सिंह अविवाहित और लाऔलाद फौत हुए थे उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 लगायत 2/4 हैं । तत्कालीन सहखातेदार मृतक प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 देवीसिंह व लक्ष्मण सिंह ने वादग्रस्त आराजी कुल 07 किता की रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा में स्थित अपने सम्पूर्ण हिस्से

1/2 की कृषि भूमि को 60,000/– रूपये में दिनांक 26.06.2001 को अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अपीलान्ट को किये गये बेचान के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/3 के साथ दर्ज कर दिया । अपीलान्ट को प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं दी गई । वादी ने प्रतिवादीगण से मिली भगत कर अपने पक्ष में एकपक्षीय कार्यवाही करवा ली । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 07.05.2014 को अपने हिस्से की आराजी पर केसीसी बनाने के लिए जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से निकलवाने पर हुई । उक्त वाद में लक्ष्मण सिंह एवं देवीसिंह की सम्मन पर तामील प्रोपर नहीं है । दोनों के सम्मन पर दुर्गासिंह के हस्ताक्षर हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार था फिर भी वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्राभावित हुए हैं और वे उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं जिन्हें न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करन की अनुमति प्रदान की जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । वादी ने प्रतिवादीगण देवी सिंह व लक्ष्मण सिंह ने अपीलान्ट को वाद की कोई जानकारी नहीं दी । प्रतिवादीगण से मिलीभगत कर अपने पक्ष में एक पक्षीय कार्यवाही करवा ली । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 07.05.2014 को अपने हिस्से पर केसीसी बनाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नैनवा में दिनांक 25.05.2014 को एक वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिस लोक अदालत में खारिज कर दिया गया । जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई जिसमें न्यायालय हाजा ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की हुई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में एक दावा विचाराधीन था जिसका दिनांक 29.05.2004 को एकपक्षीय रूप से वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट कम 02 देवीसिंह अविवाहित एवं लाऔलाद फौत हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में बाबू सिंह ने एक दावा विभाजन का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी देवीसिंह एवं लक्ष्मण सिंह थे । देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह ने वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा 60,000/– रूपये का प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 26.06.2001 को अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था और मौके पर कब्जा संभला दिया था । अपीलान्ट भारतीय सेना में नौकरी करता था और 2008 में सेवानिवृत हुए हैं । लक्ष्मण सिंह और देवीसिंह के द्वारा अपीलान्ट को किये गये बेचान की जानकारी वादी को शुरू से ही थी फिर भी अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात

करते हुए निर्णय पारित कराया है । देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह की तामील फर्जी तरीके से करवायी गई है । अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सन् 2014 में हुई । जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अधिकार घोषणा का एक दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया जिसे सन् 2017 में खारिज कर दिया गया । उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारीके समक्ष पेश की गई जो आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया परन्तु उस निर्णय की माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई । अतः धारा 05 भारतीय मियाद अधिनिमय के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलान्ट ने दावा संख्या 55/2014 पेश किया था जो दिनांक 16.05.2017 को खारिज हुआ है । अपीलान्ट को सन् 2014 से ही अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी । अपीलान्ट को अगर कोई आराजी प्राप्त भी करनी है तो वो प्रतिवादी 01 और 02 से करनी है । रेस्पोडेन्ट बाबू सिंह से उनको कोई सहायता की अपेक्षा नहीं है । रेस्पोडेन्ट को विभाजन के दावे में 1/2 हिस्सा दिया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं थे और जिन प्रतिवादी की आराजी क्रय की गई है उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । प्रतिवादी क्रम 01 के अभिभाषक के द्वारा नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर उनको नोटिस भी नहीं दिया गया था । अपंजीकृत सहमति पत्र के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हो उसके लिए मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में उदार दृष्टिकोण रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा देवीसिंह और लक्ष्मण सिंह के खिलाफ विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है इस दावे में दिनांक 19.09.2002 को देवी सिंह ने जवाबदावा इंकारी पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 के अभिभाषक के द्वारा नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ पूर्व में ही दिनांक 06.03.2002 को एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है । प्रतिवादी क्रम 1 के अभिभाषक के द्वारा नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर प्रतिवादी संख्या 01 को न्यायालय द्वारा नोटिस दिया जाना अनिवार्य था जो नहीं दिया गया है। परीक्षण न्यायालय के द्वारा एक सहमति पत्र जो प्रदर्श – 5 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है को आधार मानकर विभाजन की डिक्री पारित की है जबकि इस सहमति पत्र को निष्पादन करने वाले लक्ष्मण सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही यह सहमति पत्र

पंजीकृत है । अपीलान्ट के द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2001 को देवी सिंह एवं लक्ष्मण सिंह से उनका 1/2 हिस्सा क्रय किया है । उनके द्वारा विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न की गई है । यह विक्रय पत्र वर्ष 2001 में निष्पादित किया गया है । सन् 2002 में प्रतिवादी देवी सिंह के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया है उसमें इस विक्रय का कोई हवाला नहीं दिया गया है । इस प्रकार प्रतिवादी देवी सिंह ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य पेश नहीं किये हैं । अपीलान्ट के द्वारा यह भी अवगत करवाया गया है कि इस विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 122 दिनांक 03.01.2002 को तस्दीक हो चुका था, फिर भी वादी द्वारा सही जवाबदेही परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं की है जिसमें अपीलान्ट का नाम आ चुका था न ही उस नामान्तरकरण की नकल पेश की थी । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने हिस्से का जो विक्रय किया गया है वो तथ्य परीक्षण न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के अभिभाषक के द्वारा नॉ–इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने पर उनको नोटिस भी जारी नहीं किया गया है और सहमति पत्र जो कि पंजीकृत नहीं है और जिसके निष्पादनकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं उसको आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पूर्व ही दिनांक 26.06.2001 को वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का हिस्सा क्रय कर लिया था । इस कारण वो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उनका हिस्सा तय किया गया है । इस प्रकार वो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं । तद्नुसार उनका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार योग्य है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2004 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगण को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा